रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2009/माघ 20, 1930

No. 251] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2009/MAGHA 20, 1930

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2009

का.आ. 419(अ).—केन्द्रीय सरकार पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 1892(अ), तारीख 31 जुलाई, 2001 को अधिक्रांत करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित का प्रतिषेध करती है,—

(i) अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा (उच्च रोगजनक अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा और निम्न रोगजनक अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा) को ध्यान में रखते हुए सभी देशों से भारत में निम्नलिखित पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात अर्थात् :—

(क) घरेलू और वन्य पक्षी (कुक्कुट और बंधुआ पक्षियों के सिवाय);

(ख) एवियन प्रजातियों से अप्रसंस्कृत मांस और मांस उत्पाद जिसके अंतर्गत जंगली पक्षी (कुक्कुट के सिवाय है;

(ग) घरेलू और जंगली पक्षियों का वीर्य (कुक्कुट के वीर्य के सिवाय)।

(ii) अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा (उच्च रोगजनक अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा और निम्न रोगजनक अधिसूचित योग्य एवियन इंफ्लूएंजा दोनों) रिपोर्ट करने वाले देशों से भारत में पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात, अर्थात् :—

(क) जीवित कुक्कुट और पालतू पक्षी;

(ख) एक दिन के चूजे, बतख, टर्की और अन्य नवजात चूजे एवियन प्रजातियां;

(ग) एवियन प्रजातियां जिसके अंतर्गत जंगली पक्षी हैं से अप्रसंस्कृत मांस और मांस उत्पाद;

(घ) हैचिंग अंडे;

(ङ) अंडा तथा अंडा उत्पाद (विनिर्दिष्ट रोगजनक मुक्त अंडों के सिवाय);

(च) अप्रसंस्कृत पंख;

(छ) जीवित सुअर;

(ज) विकृतिजन्य सामग्री और पक्षियों से जैविकीय उत्पाद;

(झ) पशु खाद्य उपयोग के लिए या कृषि या औद्योगिक उपयोग के लिए आशयित पशु मूल (पक्षियों से) का उत्पाद;

(ञ) कुक्कुट का वीर्य :

परंतु प्रतिषेध पशु खाद्य के उपयोग के लिए आशयित एवियन प्रजाति, सुअर और पशु मूल (पक्षियों से) के उत्पाद से मांस और मांस उत्पादों के तत्व प्रसंस्कृत पालतू भोजन के आयात पर लागू नहीं होगा;

परंतु यह और कि प्रतिषेध विनिर्दिष्ट अनुरोध पर नैदानिक और अनुसंधान प्रयोजन के लिए विकृतिजन्य सामग्री और जैविकीय उत्पादों के आयात को भी लागू नहीं होगा;

परंतु यह और भी कि प्रसंस्कृत कुक्कुट मांस के आयात की अनुज्ञा निर्यातक देश के समाधानप्रद अनुरूपता निर्धारण के पश्चात् दी जाएगी।

2. यह प्रतिषेध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि तक या इसके उपांतरित या प्रत्याहृत किए जाने तक, जो पूर्वतर हो, प्रवृत्त रहेगा ।

[फा. सं. 109-21/2007-ट्रेड]

अरविंद कौशल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2009

S.O. 419(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 and Section 3A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), and in supersession of the notification vide S.O.1892(E) dated 31st July, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the Central Government hereby prohibits, with effect from the date of publication of this notification,—

(i) the import into India from all countries in view of Notifiable Avian Influenza (both Highly Pathogenic Notifiable Avian Influenza and Low Pathogenic Notifiable Avian Influenza), the following livestock and livestock products, namely :—

(a) domestic and wild birds (excluding poultry and captive birds);

(b) unprocessed meat and meat products from Avian species, including wild birds (except poultry);

(c) semen of domestic and wild birds (except semen of poultry).

(ii) the import into India from the countries reporting Notifiable Avian Influenza (both Highly Pathogenic Notifiable Avian Influenza and Low Pathogenic Notifiable Avian Influenza), the following livestock and livestock products, namely :—

(a) live poultry and captive birds;

(b) day-old chicks, ducks, turkey and other newly hatched Avian species;

(c) unprocessed meat and meat products from Avian species, including wild birds;

(d) hatching eggs;

(e) egg and egg products (except Specific Pathogen Free eggs);

(f) unprocessed feathers;

(g) live pig;

(h) pathological material and biological products from birds;

(i) products of animal origin (from birds) intended for use in animal feeding or for agricultural or industrial use;

(j) semen of poultry :

Provided that the prohibition shall not be applicable on the import of processed pet food containing ingredients of meat and meat products from avian species, pig and products of animal origin (from birds) intended for use in animal feeding:

Provided further that the prohibition shall also not be applicable to the import of pathological materials and biological products for diagnostic and research purpose on specific request:

Provided also further that the import of processed poultry meat shall be allowed after satisfactory conformity assessment of the exporting country.

2. The prohibition shall be in force for a period of six months from the date of publication of this notification or till such time it is modified or withdrawn, whichever is earlier.

[F. No. 109-21/2007-Trade]

ARVIND KAUSHAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.